न्यायालय जिला कलक्टर अजमेर, जिला अजमेर

रसद प्रार्थना पत्र संख्या 16/2018

राजस्थान सरकार जरिये श्रीमती रेणुका चतुर्वेदी, प्रर्वतन अधिकारी, अजमेर। ....प्रार्थी

बनाम

श्री शाहिद पुत्र श्री उमरदीन खान, निवासी–छोटी नागफनी, बोराज रोड, अजमेर। ....अप्रार्थी

प्रार्थनापत्र अर्न्तगत धारा 6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम

उपस्थितः 1. श्रीमती रेणुका चतुर्वेदी, प्रर्वतन अधिकारी, अजमेर – पैरोकार सरकार
2. श्री फिरोज खान, कुशाल शर्मा – अभिभाषक अप्रार्थी

आदेश

दिनांक 27.06.2018

संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि दिनांक 26.03.2018 को दूरभाष पर प्राप्त अवैध गैस रिफिलिंग की शिकायत पर जिला रसद अधिकारी अजमेर (प्रथम) के निर्देशानुसार प्रार्थी मय संयुक्त जांच दल द्वारा अप्रार्थी के बाडे की जांच करने पर पृथमदृष्टया मौके के अवलोकन से यहॉ घरेलू एलपीजी सिलेण्ड्रों से वाहनों में गैस रिफलिंग करना जाहिर हुआ। अप्रार्थी के चार दिवारी से घिरे बाडें में दो गैस रिफिलिंग की जुगाडनुमा मशीन एवं बीपीसी के 09 घरेलू गैस सिलेण्डर

S.N	S.R.N	CO.	T.W.	G.W.	N.W.G	TYP
1	10373	BPC	15.3	15.3	Nil	Domes
2	00036	BPC	29.8	15.8	14.0	Domes
3	03985	BPC	29.6	15.4	14.2	Domes
4	29626	BPC	29.9	15.8	14.1	Domes
5	48963	BPC	29.5	15.3	14.2	Domes
6	76266	BPC	30.2	16.0.	14.2	Domes
7	40500	BPC	29.5	15.5	14.0	Domes
8	23161	BPC	30.1	15.8	14.3	Domes
9	02908	BPC	29.8	15.6	14.2	Domes

मय 113.2 किलो एलपीजी को कब्जेराज लिया जाकर गुलाब गैस एजेन्सी के कार्मिक श्री राकेश कुमार सेन पुत्र श्री औमप्रकाश सेन निवासी बडी नागफनी, संजय नगर अजमेर को वजन करा कर सुपुर्द किये गये। जांच के दौरान अपार्थी के एक ओर गोदाम, जहां गैस सिलेण्डर भण्डारित है, की सूचना प्राप्त हुई। जांच दल अप्रार्थी के जालिया कब्रिस्तान शराब के ठेके के पास बडी नागफनी स्थित गोदाम पहुंचे, जहां 36 अन्य घरेलू गैस सिलेण्डर

S.N	S.R.N	CO.	T.W.	G.W.	N.W.G	TYP
1	40792	HPC	15.7	29.8	14.1	Domes
2	12670	HPC	15.6	29.8	14.2	Domes
3	59635	HPC	15.8	30.0	14.2	Domes
4	06637	HPC	15.6	29.6	14.0	Domes
5	54188	HPC	16.7	31.1	14.3	Domes

जिला कलक्टर
अजमेर

6	31951	HPC	16.0	30.2	14.2	Domes
7	00522	HPC	16.3	30.4	14.1	Domes
8	80175	HPC	15.5	29.4	13.9	Domes
9	84881	HPC	15.7	29.4	14.2	Domes
10	15446	HPC	15.4	29.4	14.0	Domes
11	60241	HPC	16.1	30.2	14.1	Domes
12	14364	HPC	16.0	30.2	14.2	Domes
13	66805	BPC	15.6	29.7	14.1	Domes
14	77228	BPC	16.6	29.8	14.2	Domes
15	24790	BPC	15.8	30.1	14.3	Domes
16	23825	BPC	15.7	29.9	14.2	Domes
17	42179	BPC	16.1	30.0	13.9	Domes
18	13086	BPC	15.8	30.1	14.3	Domes
19	92270	BPC	16.1	30.3	14.2	Domes
20	40954	BPC	15.9	30.0	14.1	Domes
21	98308	BPC	15.6	29.6	14.0	Domes
22	179889	BPC	15.9	30.1	14.2	Domes
23	98860	BPC	15.5	29.6	14.1	Domes
24	16152	BPC	15.8	30.0	14.2	Domes
25	10476	BPC	16.6	30.3	14.0	Domes
26	99950	BPC	15.8	29.7	13.9	Domestic
27	06462	BPC	15.5	29.6	14.1	Domestic
28	60192	BPC	15.5	29.7	14.2	Domestic
29	97314	BPC	15.6	29.7	14.1	Domestic
30	10348	BPC	15.9	30.1	14.2	Domestic
31	32623	BPC	16.1	30.4	14.3	Domestic
32	78063	BPC	16.0	29.9	13.9	Domestic
33	15181	BPC	15.5	29.7	14.2	Domestic
34	12882	BPC	16.0	30.1	14.1	Domestic
35	378	BPC	16.0	30.3	14.3	Domestic
36	अपठनीय	BPC	16.8	30.8	14.0	Domes

भण्डारित पाये गये। उक्त भण्डारित सिलेण्डर के संदर्भ में अप्रार्थी के पास कोई अनुज्ञा/अनुमति पत्र एवं वैध दस्तावेज नही पाये गये। अप्रार्थी द्वारा उक्त गोदाम श्री मुश्ताक पुत्र श्री खाजु खॉ मौहम्मद बडी नागफनी से किराये पर लेना बताया किन्तु उसका कोई किरायानामा वक्त जांच प्रस्तुत नहीं किया गया। अप्रार्थी द्वारा अवैध रूप से भण्डारित 36 घरेलू एलपीजी सिलेण्डरों को मय 508.6 किलोग्राम एलपीजी के कब्जेराज लिया गया एवं गुलाब गैस एजेन्सी के कार्मिक श्री राकेश कुमार सेन पुत्र श्री औमप्रकाश सेन निवासी बडी नागफनी, संजय नगर अजमेर को सुपुर्दगी में दिये गये। इस प्रकार अप्रार्थी के द्वारा दो गोदामों में कुल 45 घरेलू गैस सिलेण्डर मय 621.8 किलोग्राम एलपीजी बिना अनुज्ञा/अनुमति के भण्डारित करना एवं मौके से 02 रिफलिंग मशीन का पाया जाना सिद्ध करता है कि अप्रार्थी द्वारा अवैध रूप से घरेलू गैस सिलेण्डरों का व्यवसाय एवं वाहनों में रिफलिंग का कार्य किया जाता है जो कि एल.पी.जी. आदेश (रेग्युलेशन ऑफ सप्लाई एण्ड डिस्ट्रीब्यूशन) 2000 के खण्ड 3 (1–ख,ग) 3 (क,ख), 4–1 (क), गैस सिलेण्डर रूल्स 2004 के खण्ड 21(1) का स्पष्ट उल्लंघन है तथा आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय उपराध है। अतः आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6 ए के तहत जब्तशुदा कुल

जिला कलक्टर
अजमेर

45 घरेलू गैस सिलेण्डर एवं 02 रिफिलिंग मशीन को राजसात करने हेतु यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। अप्रार्थी जरिये अभिभाषक उपस्थित आये। जवाब नोटिस प्रस्तुत किया। उपस्थित अभिभाषक अप्रार्थी द्वारा सुनवाई चाहने पर उभय पक्ष को सुना गया।

पैरोकार सरकार ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया कि दिनांक 26.03.2018 को जांच दौरान अप्रार्थी के दो गोदामो से बिना अनुज्ञा/अनुमति के भण्डारित कुल 45 घरेलू गैस सिलेण्डर मय 621.8 किलोग्राम एलपीजी एवं 02 रिफलिंग मशीन पाया जाना सिद्ध करता है कि अप्रार्थी द्वारा अवैध रूप से घरेलू गैस सिलेण्डरों का व्यवसाय एवं वाहनों में रिफलिंग का कार्य किया जाता है जो कि एल.पी.जी. आदेश (रेग्युलेशन ऑफ सप्लाई एण्ड डिस्ट्रीब्यूशन) 2000 के खण्ड 3 (1—ख,ग) 3 (क,ख), 4—1 (क), गैस सिलेण्डर रूल्स 2004 के खण्ड 21(1) का स्पष्ट उल्लंघन है तथा आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय उपराध है। अतः आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6 ए के तहत जब्तशुदा कुल 45 घरेलू गैस सिलेण्डर एवं 02 रिफिलिंग मशीन को राजसात फरमाया जावें।

जवाब में अप्रार्थी का कथन है कि उसके द्वारा इतनी भारी मात्रा में गैस सिलेण्डर का संकलन नही किया गया है। अप्रार्थी 5000/— रूपये मासिक आय पर मोटर वाहन ठीक करने के सर्विस सेन्टर पर कार्य करता है। वक्त निरीक्षण अप्रार्थी की मौके पर उपस्थिति होने व प्रार्थी के सर्विस सेन्टर पर कार्य करने के आधार पर उक्त प्रकरण में उसको जबरन लिप्त किया गया है। किसी स्वतंत्र गवाह द्वारा इस बात की ताईद नहीं की गई कि उक्त उल्लेखित परिसर अप्रार्थी का है तथा जब्त उक्त सिलेण्डर अप्रार्थी के कब्जे में रहे हो। अतः अप्रार्थी के विरूद्ध दर्ज प्रकरण को खारिज फरमाया जावें।

हमनें बहस पर मनन किया तथा पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया। अप्रार्थी द्वारा जवाब में ऐसे कोई आधारभूत कथन, दस्तावेजी साक्ष्य सबूत के दर्ज नही किये गये है, जो प्रार्थना पत्र कथनो का खण्डन करते। वक्त जांच उनके द्वारा दो गोदामों में अवैध रूप से बिना अनुज्ञा/अनुमति के भण्डारित 45 घरेलू गैस सिलेण्डर मय 621.8 किलोग्राम एलपीजी एवं 02 रिफलिंग मशीन, प्रार्थी/संयुक्त जांच दल द्वारा जप्त किये गये है। इससे उपरोक्त अवैद्य कृत्य अप्रार्थी का स्वतः ही साबित है। अवैध रूप से घरेलू गैस सिलेण्डरों का व्यवसाय एवं वाहनों में रिफलिंग का कार्य एल.पी.जी. आदेश (रेग्युलेशन ऑफ सप्लाई एण्ड डिस्ट्रीब्यूशन) 2000 के खण्ड 3 (1—ख,ग) 3 (क,ख), 4—1 (क), गैस सिलेण्डर रूल्स 2004 के खण्ड 21(1) का स्पष्ट उल्लंघन होकर आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय उपराध है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा कब्जेराज लिये गये कुल 45 घरेलू गैस सिलेण्डर मय 621.8 किलोग्राम एल.पी.जी एवं 02 रिफिलिंग मशीन को आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6ए के तहत राजसात किया जाता है। चूकिं उक्त सलेण्डर को संबन्धित कम्पनी अमानत राशि लेकर नये उपभोक्ताओं को जारी करेगी। अतः पूर्व में जमा अमानत राशि राजकोष में जमा करवाई जावें ।

आदेश मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 27.06.2018 को सरे इजलास सुनाया गया ।

(आरती डोगरा)
जिला कलक्टर
अजमेर

न्यायालय जिला कलक्टर अजमेर

भज।